



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/3549/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के आधार पर श्री डोमन लाल वर्मा को अनारक्षित वर्ग से निम्न वर्ग लिपिक के पद पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो के लिये निश्चित वेतन रुपये 8870/- प्रतिमाह पर संविदा शर्तों के अधीन संविदा पर नियुक्त किया जाता है।

आदेशानुसार

(के.के. चन्द्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक/3550/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

प्रतिलिपि :-

1. श्री डोमन लाल वर्मा, पिता- श्री राम कुमार वर्मा, निवासी- ग्राम- ~~खडिया~~, पोस्ट- खौली, रायपुर (छ.ग.), पिन- 493225 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (प्रशा.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/3551/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के आधार पर श्री चन्द्रभान साहू को अनारक्षित वर्ग से निम्न वर्ग लिपिक के पद पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो के लिये निश्चित वेतन रुपये 8870/- प्रतिमाह पर संविदा शर्तों के अधीन संविदा पर नियुक्त किया जाता है।

आदेशानुसार


(के.के. चन्द्राकर)
कुलसचिव

पृ. क्रमांक/3552/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

प्रतिलिपि :-

1. श्री चन्द्रभान साहू, पिता- श्री गजानन्द साहू, निवासी- नगर पंचायत आफिस के पास, श्री गणेश नगर, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.), पिन- 495223 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (प्रशा.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/3553/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के आधार पर श्री रवि कुमार झा को अनारक्षित वर्ग से निम्न वर्ग लिपिक के पद पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो के लिये निश्चित वेतन रुपये 8870/- प्रतिमाह पर संविदा शर्तों के अधीन संविदा पर नियुक्त किया जाता है।

आदेशानुसार


(के.के. चन्द्राकर)
कुलसचिव

पृ. क्रमांक/3554/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

प्रतिलिपि :-

1. श्री रवि कुमार झा, पिता- श्री हरिराम झा, निवासी- पं. रविशंकर शुक्ल नगर, यू-लार्डक आटो केयर के पास, आमनाका, रायपुर (छ.ग.), पिन- 492010 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (प्रशा.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/3555/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के आधार पर श्रीमती योगेश्वरी वर्मा चन्द्रवंशी को अन्य पिछड़ा वर्ग से निम्न वर्ग लिपिक के पद पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो के लिये निश्चित वेतन रुपये 8870/- प्रतिमाह पर संविदा शर्तों के अधीन संविदा पर नियुक्त किया जाता है।

आदेशानुसार

(के.के. चन्द्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक/3556/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमती योगेश्वरी वर्मा चन्द्रवंशी, पति- श्री देवेश चन्द्रवंशी, निवासी- जोरा साईं नगर कॉलोनी, कृषि विश्वविद्यालय के पास, कृषक नगर, रायपुर (छ.ग.), पिन- 492006 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (प्रशा.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/3557/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के आधार पर श्री अरविंद कुमार पाटकर को अन्य पिछड़ा वर्ग से निम्न वर्ग लिपिक के पद पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो के लिये निश्चित वेतन रुपये 8870/- प्रतिमाह पर संविदा शर्तों के अधीन संविदा पर नियुक्त किया जाता है।

आदेशानुसार

(के.के. चन्द्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक/3558/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

प्रतिलिपि :-

1. श्री अरविंद कुमार पाटकर, पिता- श्री विष्णु प्रसाद पाटकर, निवासी- विवेकानन्द विद्यापीठ शाला के पीछे, छोटा भवानी नगर, बाबा किराना स्टोर, कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.), पिन- 492010 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (प्रशा.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/3559/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के आधार पर श्री मोहन लाल दीवान को अनुसूचित जनजाति वर्ग से निम्न वर्ग लिपिक के पद पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो के लिये निश्चित वेतन रुपये 8870/- प्रतिमाह पर संविदा शर्तों के अधीन संविदा पर नियुक्त किया जाता है।

आदेशानुसार

(के.के. चन्द्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक/3560/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

प्रतिलिपि :-

1. श्री मोहन लाल दीवान, पिता- श्री कृपा राम दीवान, निवासी- वार्ड नं.- 11, राजिम, आमपापारा, हनुमान मंदिर के पास, राजिम, जिला- गरियाबंद (छ.ग.), पिन- 493885 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (प्रशा.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/3561/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के आधार पर सुश्री डॉली शुक्ला को अनारक्षित (महिला) वर्ग से निम्न वर्ग लिपिक के पद पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो के लिये निश्चित वेतन रुपये 8870/- प्रतिमाह पर संविदा शर्तों के अधीन संविदा पर नियुक्त किया जाता है।

आदेशानुसार


(के.के. चन्द्राकर)
कुलसचिव

पृ. क्रमांक/3562/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

प्रतिलिपि :-

1. सुश्री डॉली शुक्ला, पिता- श्री दुर्गा पाठक, साईनाथ ट्रेडर्स के सामने, कोटा स्टेडियम के पास, कोटा, रायपुर (छ.ग.), पिन- 492010 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (प्रशा.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/3563/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के आधार पर सुश्री तृप्ति सोनवानी को अनुसूचित जाति वर्ग से निम्न वर्ग लिपिक के पद पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो के लिये निश्चित वेतन रुपये 8870/- प्रतिमाह पर संविदा शर्तों के अधीन संविदा पर नियुक्त किया जाता है।

आदेशानुसार

(के.के. चन्द्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक/3564/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

प्रतिलिपि :-

1. सुश्री तृप्ति सोनवानी, पिता- श्री कुमार सोनवानी, निवासी- क्वार्टर नं. आई- 1, विश्वविद्यालय परिसर, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.), पिन- 492010 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (प्रशा.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/3565/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के आधार पर श्री मनोज कुमार देशलहरा को अनुसूचित जाति वर्ग से निम्न वर्ग लिपिक के पद पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो के लिये निश्चित वेतन रुपये 8870/- प्रतिमाह पर संविदा शर्तों के अधीन संविदा पर नियुक्त किया जाता है।

आदेशानुसार


(के.के. चन्द्राकर)
कुलसचिव

पृ. क्रमांक/3566/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

प्रतिलिपि :-

1. श्री मनोज कुमार देशलहरा, पिता- श्री तुलसी राम देशलहरा, निवासी- क्वार्टर नं.- सी.एच.- 185, तितुरडीह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी (देवांगन आटा चक्की/शिव मंदिर के पास), आदित्य नगर, दुर्ग(छ.ग.), पिन- 491001 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (प्रशा.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/3567/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के आधार पर श्री नीलेश्वर कुमार ध्रुव को अनुसूचित जनजाति (विकलांग) वर्ग से निम्न वर्ग लिपिक के पद पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो के लिये निश्चित वेतन रुपये 8870/- प्रतिमाह पर संविदा शर्तों के अधीन संविदा पर नियुक्त किया जाता है।

आदेशानुसार

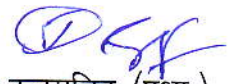

(के.के. चन्द्राकर)
कुलसचिव

पृ. क्रमांक/3568/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

प्रतिलिपि :-

1. श्री नीलेश्वर कुमार ध्रुव, पिता- श्री तिजऊ राम ध्रुव, निवासी- ग्राम+पोस्ट- घुटकुनवापारा, तहसील- गरियाबंद, जिला- गरियाबंद (छ.ग.), पिन- 493889 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (प्रशा.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/3569/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के आधार पर श्री रमेश कुमार कांगे को अनुसूचित जनजाति वर्ग से निम्न वर्ग लिपिक के पद पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो के लिये निश्चित वेतन रुपये 8870/- प्रतिमाह पर संविदा शर्तों के अधीन संविदा पर नियुक्त किया जाता है।

आदेशानुसार


(के.के. चन्द्राकर)
कुलसचिव

पृ. क्रमांक/3570/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

प्रतिलिपि :-

1. श्री रमेश कुमार कांगे, पिता- श्री पांडूराम कांगे, निवासी- ग्राम- इच्छापुर, पोस्ट- मर्दापोटी, तहसील+जिला- कांगेर (छ.ग.), पिन- 494334 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (प्रशा.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

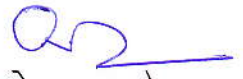
//आदेश//

क्रमांक/3571/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के आधार पर श्री महेन्द्र कुमार आर्य को अनुसूचित जनजाति वर्ग से निम्न वर्ग लिपिक के पद पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो के लिये निश्चित वेतन रुपये 8870/- प्रतिमाह पर संविदा शर्तों के अधीन संविदा पर नियुक्त किया जाता है।

आदेशानुसार


(के.के. चन्द्राकर)
कुलसचिव

पृ. क्रमांक/3572/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

प्रतिलिपि :-

1. श्री महेन्द्र कुमार आर्य, पिता- श्री गैदलाल आर्य, निवासी- क्वार्टर नं. ए/22, न्यू पुलिस लाइन, दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.), पिन- 491001 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (प्रशा.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/3573/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के आधार पर सुश्री राधिका ध्रुव को अनुसूचित जनजाति वर्ग से निम्न वर्ग लिपिक के पद पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो के लिये निश्चित वेतन रुपये 8870/- प्रतिमाह पर संविदा शर्तों के अधीन संविदा पर नियुक्त किया जाता है।

आदेशानुसार

(के.के. चन्द्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक/3574/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

प्रतिलिपि :-

1. सुश्री राधिका ध्रुव, पिता- श्री बजरंग प्रसाद ध्रुव, निवासी- अग्रवाल किराना स्टोर के पास, बजरंग चौक, मठपारा, रायपुर (छ.ग.), पिन- 492001 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (प्रशा.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/3575/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के आधार पर सुश्री सुनिता ध्रुव को अनुसूचित जनजाति वर्ग से निम्न वर्ग लिपिक के पद पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो के लिये निश्चित वेतन रुपये 8870/- प्रतिमाह पर संविदा शर्तों के अधीन संविदा पर नियुक्त किया जाता है।

आदेशानुसार

(के.के. चन्द्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक/3576/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 01/10/2015

प्रतिलिपि :-

1. सुश्री सुनिता ध्रुव, पिता- श्री रामानुज ध्रुव, निवासी- वार्ड नं- 25, सुभाष नगर, महासमुंद, जिला- महासमुंद (छ.ग.), पिन- 493445 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (प्रशा.)